16/1/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलान उप0। वकील
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत
नाम दर्ज पर वकील अप्रार्थी द्वारा मृ0
OBJection किया गया एवं नाम दर्ज प्रार्थी नं 3
पर कोई एतराज पेश नहीं किया गया। तथा
वकील अप्रार्थी सं 8 का नाम दर्ज करने बाबत
पेश प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी सं 3 व अप्रार्थी सं 8
का पेश हुआ जो दोनो प्रा0पत्र न्यायहित
में स्वीकार किये जाते है। प्रार्थी सं 3 व
अप्रार्थी सं 8 के नाम से पहले लाल स्याही
से दर्ज लिखे जावे। जो प्रा0पत्र मे भी लिखा जावे
मूल प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष
द्वारा पूरी बहस पर मनन किया गया एवं
बहस व प्रारम्भिक आपत्ति व पत्रावली में
उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से पाया गया
कि भूमि ख0 नं0 2478 रकबा 0.78 है व 2471
रकबा 0.10 है। तन ग्राम अजीतगढ में स्थित है।
जिसके पुराने ख0 नं0 1199 है। एवं भूमि ख0 नं0
2471 रास्ते के रूप में काम आ रही है। पत्रावली
में उपलब्ध आवंटन आदेश कि प्रमाणित प्रति
के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अप्रार्थी
सं 1 ता 13 के पूर्वज मदन पुत्र हीरा के नाम
दिनांक 20-7-1963 को आवंटन हुई थी। प्रार्थीगण
का मुख्य कथन यह है कि उक्त भूमि पर
हमारा पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त चला
आ रहा है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई
ठोस रिकार्ड पेश नहीं किया गया जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with CamScanner

जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण का पूर्व से कब्जा काश्त रहा हो। प्रार्थीगण द्वारा जिला कलक्टर सीकर के समक्ष जो अपील पेश कि जो पोषणीय नही होने से दिनांक 28/11/2016 को खारीज हुई है। जिसके निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल है।

वकील अप्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि पत्रावली में अंकित भूमि ख० नं० बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा आवंटन निरस्त करने हेतु 15(4) का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही हो चुका है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। एक ही भूमि व समान पक्षकार होने पर इनके अलग-अलग प्रकरण नही हो सकते। इस प्रकार से प्रकरण चलना जो रेस ज्यूडीकेटा की श्रेणी में आता है। जिस हेतु धारा 11 में स्पष्ट अंकन किया हुआ है। सिविल प्रक्रिया संहिता मे धारा 11 मे स्पष्ट अंकन किया गया कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नही करेगा जिससे प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्य विषय उसी के हक में अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते है। किसी पूर्ववर्ती वाद मे भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्य रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमे ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है। विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है। और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।"

पत्रावली में [illegible]
जो लिखा गया है जिस बाबत [illegible]
अवलोकन से पाया [illegible]
सहवन से लिखा गया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्ति सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15(5) मय प्रारम्भिक आपत्ति खारीज किया जाता है। मि.द्र.। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner